

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश


क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/439-K

भोपाल, दिनांक 19.04.2018

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री आनंद कुमार मिश्रा, लेबटेक्नीशियन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राहतगढ़, जिला सागर का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह के अधीन किया जाता है ।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



19/4/18  
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/440-K

भोपाल, दिनांक 19.04.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, सचिव (स्वास्थ्य) वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग मध्यप्रदेश।
5. उप संचालक शिकायत शाखा की ओर उनके पत्र क./04/शिका./सेल-3/एफ-132/सागर/2017/1841 दिनांक 16.11.2017 के संदर्भ में।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दमोह/सागर मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-दमोह/सागर मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।



19/4/18  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/437 - K

भोपाल, दिनांक 19.04.2018

:: आदेश ::

संचालनालय के आदेश क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./स्था./2017/556-B भोपाल दिनांक 10.07.2017 के द्वारा सरल क्रमांक 16 पर अंकित श्री रामकुमार तिवारी सुपरवाइजर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर जिला सागर का कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दमोह के अधीन किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री रामकुमार तिवारी को सामु.स्वास्थ्य केन्द्र रहली, जिला सागर पदस्थ किया जाता है।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"



19/4/18

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/438 - K

भोपाल, दिनांक 19.04.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये सागर संभाग मध्यप्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दमोह/सागर मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-दमोह/सागर मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
8. आदेश नस्ती ।



19/4/18

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश


क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/425-K

भोपाल, दिनांक 16.04.2018

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्रीमती सोनल सारस्वत फार्मासिस्ट ग्रेड-2 जिला चिकित्सालय बैतूल जिला-बैतूल का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीहोर के अधीन किया जाता है ।

"प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा अनुमोदित"

  
11/4/18

(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/426-K

भोपाल, दिनांक 16.04.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक, सचिव (स्वास्थ्य) वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल ।
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये भोपाल संभाग मध्यप्रदेश ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- बैतूल/सीहोर मध्यप्रदेश ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-सीहोर/बैतूल मध्यप्रदेश ।
7. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।

  
11/4/18

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/

भोपाल, दिनांक

:: आदेश ::


संचालनालय के आदेश क्र.550-बी दिनांक 10.07.2017 के सरल क्रमांक 15 द्वारा श्री श्याम स्वरूप शर्मा, सहायक ग्रेड-2 का स्थानान्तरण सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, ग्वालियर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिवपुरी के अधीन प्रशासकीय आधार पर किया गया है।

उक्त आदेश में श्री शर्मा का पदनाम लिपिकिय चुटी के कारण सहायक ग्रेड-3 के स्थान पर सहायक ग्रेड-2 हो जाने से संचालनालय के आदेश क्र.573-बी दिनांक 14.07.2017 द्वारा पदनाम सुधार किया गया।

स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री श्याम स्वरूप शर्मा द्वारा मा.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में डब्ल्यू.पी. क्र.4320/2017 दर्ज किया गया, प्रकरण में मा.उच्च न्यायालय द्वारा श्री शर्मा के अभ्यावेदन का निराकरण आयुक्त स्वास्थ्य को 15 दिवस में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तथा श्री शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की किडनी खराब होने एवं ईलाज प्रचलित होने का लेख करते हुए स्थानान्तरण से छूट चाही गई है।

श्री श्याम स्वरूप शर्मा, द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं, स्थानान्तरण नीति एवं प्रकरण में माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरांत श्री श्याम स्वरूप शर्मा, सहायक ग्रेड-2 का कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, ग्वालियर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिवपुरी के अधीन किया गया स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री शर्मा, को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर के अधीन पदस्थ किया जाता है।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

  
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/ 388-ज

भोपाल, दिनांक 28/3/2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. महाअधिवक्ता मान.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालिया म.प्र.।
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये ग्वालियर, संभाग मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-ग्वालियर/जिला-शिवपुरी मध्यप्रदेश।
6. जिला कोषालय अधिकारी, ग्वालियर/शिवपुर, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

  
28/3/18

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश


क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/ 373-J

भोपाल, दिनांक 23/03/2018

:: आदेश ::

संचालनालय के आदेश क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./स्था./2017/550-B भोपाल दिनांक 10.07.2017 के द्वारा सरल क्रमांक 14 पर अंकित श्री जे.पी.खण्डेलवाल सहायक ग्रेड-2 कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा का कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सीधी के अधीन किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

  
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/ 374-J

भोपाल, दिनांक 23/03/2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग मध्यप्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सीधी मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- रीवा/सीधी मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
8. आदेश नस्ती ।

  
23/3

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/353-ज

भोपाल, दिनांक 21.03.2018

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से तालिका में उल्लेखित दोनों कर्मचारियों का आपसी स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर दोनों कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की शर्त पर एक-दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित कर अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है-

क्र.	नाम, पदनाम	पदस्थापन स्थल	स्थानांतरण स्थल	स्थानांतरण
1	श्री मनोहरलाल भाटी, फार्मासिस्ट ग्रेड-2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सारंगी, जिला पेटलावद झाबुआ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जावरा, रतलाम	आपसी स्थानांतरण
2	श्री संदीप मेडतावाल फार्मासिस्ट ग्रेड-2	सामु.स्वा.के.जावरा जिला रतलाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सारंगी, पेटलावद जिला- झाबुआ	

**"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"**

DP 1613  
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/354-ज

भोपाल, दिनांक 21.03.2018

**प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -**

- विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
- निज सहायक, सचिव (स्वास्थ्य) वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल
- निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इंदौर/उज्जैन संभाग मध्यप्रदेश।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- झाबुआ एवं रतलाम मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दोनों कर्मचारियों को उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त (परिवीक्षा अवधि समाप्त करने के आदेश जारी) होने पर ही कार्यमुक्त करें।
- निज सहायक, मान. विधायक विधानसभा क्षेत्र-225 मल्हारगढ़, जिला-मंदसौर, पता-कैलाश विहार काम्पलेक्स महु-नीमच रोड मंदसौर म.प्र. की ओर उनके पत्र क्र. 86 दिनांक 12.08.2016 के संदर्भ में।
- जिला कोषालय अधिकारी, जिला-झाबुआ/रतलाम मध्यप्रदेश।
- प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
- संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
- आदेश नस्ती।

DP 1613

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/3८7-ज

भोपाल, दिनांक ०८.०३.२०१८

:: आदेश ::

संचालनालय के आदेश क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2017/556-**B** भोपाल दिनांक 10.07.2017 के द्वारा सरल क्रमांक 11 पर अंकित श्री राकेश राजपूत सुपरवाईजर (एम.पी.एस.) सामु.स्वास्थ्य केन्द्र छपारा जिला सिवनी का कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा के अधीन किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

“आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित”



(विवेक श्रोत्रिय) 18


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/3८८-ज

भोपाल, दिनांक ०८.०३.२०१८

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये जबलपुर संभाग मध्यप्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सिवनी/छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- सिवनी/छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
8. आदेश नस्ती।



अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/300-5

भोपाल, दिनांक 07/03/2018

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 की कण्डिका 8.11 अनुसार श्रीमती मीनू गोले फार्मासिस्ट ग्रेड-2 जिला चिकित्सालय सीहोर का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर के अधीन किया जाता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



(विवेक श्रोत्रिय) 2/3/18

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/301-5

भोपाल, दिनांक 07/03/2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, सचिव (स्वास्थ्य) वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इंदौर/भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- सीहोर मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती मीनू गोले को उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर ही कार्यमुक्त करें।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-सीहोर/इंदौर मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।



2/3/18  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/173-I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018


∴ आदेश ∴

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा के आदेश क्रमांक /स्थापना/2018/644-45 विदिशा, दिनांक 27.01.2018 द्वारा श्री विजय नकुल फार्मासिस्ट ग्रेड-2 (प्रभारी जिला औषधि भण्डार) को जिला चिकित्सालय में पदस्थ करते हुए नियम विरुद्ध श्री ओम प्रकाश शर्मा ड्रेसर प्रा.स्वा.के.वरो जिला विदिशा को जिला औषधी भण्डार का प्रभार सौंपने हेतु आदेशित किया गया है ।

संचालनालय द्वारा समय-समय पर जिला चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में भण्डार (औषधि भण्डार) का कार्य क्रमशः स्टोर कीपर/फार्मासिस्ट ग्रेड-2/कम्पाउण्डर के माध्यम से संपादित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.01.2018 नियमानुसार नहीं होने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है । श्री विजय नकुल, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 पूर्व की भांति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा के औषधि भण्डार का कार्य संपादित करेंगे।

“संचालक (प्रशासन) द्वारा आदेशित ”

  
(विवेक श्रीवास्तव)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/174-I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-विदिशा मध्यप्रदेश।
4. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, विदिशा मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-विदिशा मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
7. संबंधित कर्मचारी पूर्वानुसार अपनी-अपनी पूर्व पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।
8. आदेश नस्ती।

  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-1/शहडोल/2017/ ५२२ ✓  
//आदेश//

भोपाल दिनांक २५-२-२०१८

महालेखाकार ग्वालियर के द्वारा जिला चिकित्सालय शहडोल के लेखा परीक्षा अवधि 08/13 से 05/15 की प्रारूप कंडिका के अनुसार गैस सिलेंडरों के देयकों में कूटरचना करके अधिक भुगतान प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप श्री एस.एन. पाठक, स्टीवर्ड, जिला चिकित्सालय शहडोल को आरोपत्रादि जारी किये गये हैं ।

अतः अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो को दृष्टिगत रखते हुए श्री एस. एन. पाठक, स्टीवर्ड को तत्काल प्रभाव से जिला चिकित्सालय शहडोल से कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा में संलग्न (अटेच) किया जाता है ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित



(जे.पी. खरे)

उप संचालक (शिकायत)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-1/शहडोल/2017/

भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र. ।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय ।
3. कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र. ।
4. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय ।
5. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय ।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र. ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल म.प्र. ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय शहडोल म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री एस. एन. पाठक को तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
9. श्री एस. एन. पाठक, स्टीवर्ड जिला चिकित्सालय शहडोल की ओर पालनार्थ द्वारा:- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय शहडोल म.प्र. ।
10. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें ।
11. आदेश नस्ति

उप संचालक (शिकायत)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/119- I

भोपाल, दिनांक 16.02.2018

:: आदेश ::

संचालनालय के आदेश क्रमांक 02/अवि./सेल-टी.पी./अति./2017/550--B भोपाल, दिनांक 10.07.2017 के सरल क्रमांक 09 पर अंकित श्री राजेन्द्र कुमार कटारया, सहायक ग्रेड-2 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह का प्रशासकीय स्थानांतरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना के अधीन किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार कटारया द्वारा मान.उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 19533/2017 दर्ज की गई थी, जिसमें मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2017 को निर्णय पारित करते हुए संबंधित के द्वारा संचालनालय में प्रस्तुत लंबित आवेदन दिनांक 07.11.2017 का नियमानुसार 04 सप्ताह में निराकरण करने हेतु आदेशित किया गया है।

श्री कटारया द्वारा दिनांक 07.11.2017 को संचालनालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में पारिवारिक परेशानियों एवं पत्नि शिक्षा विभाग में शासकीय प्राथमिक शाला बांसातारखेड़ा जिला दमोह में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ होने से स्थानांतरण नीति की कण्डिका 8.11 के अनुसार पति-पत्नि को एक ही स्थान पर पदस्थ रखे जाने के दृष्टिगत दमोह से पन्ना किया गया स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

श्री कटारया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं, स्थानांतरण नीति एवं प्रकरण में माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरांत श्री राजेन्द्र कुमार कटारया सहायक ग्रेड-2 का कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना के अधीन किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री कटारया को जिला मलेरिया कार्यालय जिला- दमोह में पदस्थ किया जाता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



16/1

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/120- I

भोपाल, दिनांक 16.02.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

01. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
02. महाअधिवक्ता मान.उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र.।
03. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
04. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग मध्यप्रदेश।
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दमोह की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं निर्देशित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कटारया के अवकाश प्रकरण का नियमानुसार निराकरण करें/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-पन्ना मध्यप्रदेश।
06. जिला मलेरिया अधिकारी, जिला-दमोह म.प्र.।
07. जिला कोषालय अधिकारी, दमोह/पन्ना मध्यप्रदेश।
08. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
09. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।



अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/85-H

भोपाल, दिनांक 30-01-2018

:: आदेश ::

संचालनालय के आदेश क्रमांक 02/अवि./सेल-टी.पी./अति./2017/590-B भोपाल, दिनांक 16.07.2017 के सरल क्रमांक 08 पर अंकित श्री नवल सिंह चौहान, नेत्र सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करैरा, जिला शिवपुरी का प्रशासकीय स्थानांतरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना के अधीन किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री नवल सिंह चौहान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 5642/2017 दर्ज की गई जिस पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2017 में न्यायालय निर्णय के पालन में संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश देते हुए अभ्यावेदन का निराकरण होने तक संबंधित को वर्तमान पदस्थापना स्थल सामु.स्वास्थ्य केन्द्र करैरा, जिला- शिवपुरी पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।

मान.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2017 के पालन में श्री नवल सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है-

- माता-पिता वृद्ध हैं, जिनका ईलाज लम्बे समय से ग्वालियर में प्रचलित है। पन्ना से ग्वालियर की दूरी अधिक है इसलिए माता-पिता की देखरेख करने में कठिनाई होगी।
- पत्नि श्रीमती हेमप्रभा रावत शासकीय माध्यमिक विद्यालय नरवर में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ है, इसलिए उक्त स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति विरुद्ध है।

श्री नवल सिंह चौहान की पत्नि शासकीय सेवा में शासकीय माध्यमिक विद्यालय नरवर जिला शिवपुरी में ही सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ है। अतः श्री चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं, स्थानांतरण नीति एवं प्रकरण में माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरांत श्री नवल सिंह चौहान नेत्र सहायक का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करैरा, जिला शिवपुरी से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना के अधीन किया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री चौहान को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनपुरा जिला-शिवपुरी में पदस्थ किया जाता है।

'स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित'



(विवेक श्रीवास्तव)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/86-H

भोपाल, दिनांक 30-01-2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. महाअधिवक्ता मान.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर म.प्र.।
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर/सागर संभाग मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-शिवपुरी/पन्ना मध्यप्रदेश।
6. जिला कोषालय अधिकारी, शिवपुरी/पन्ना मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।



अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश


क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/87-H

भोपाल, दिनांक 30.01.2018

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री केदार शरण शर्मा, नेत्र सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनपुरा, जिला शिवपुरी का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करैरा, जिला शिवपुरी किया जाता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/88-H

भोपाल, दिनांक 30.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-शिवपुरी मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक, मान. विधायक विधानसभा क्षेत्र-24 पोहरी जिला शिवपुरी, पता-कोर्ट रोड़ शिवपुरी-473551 म.प्र. की ओर उनके पत्र क.549 दिनांक 05.01.2018 के संदर्भ में।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-शिवपुरी मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
8. आदेश नस्ती।



अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/74-H

भोपाल, दिनांक 25/01/2018

:: आदेश ::

मान.राज्य मंत्रीजी, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुमोदन उपरांत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्र.2/अवि./सेल-टी.पी./अति./2017/536-8 भोपाल,दिनांक 10.07.2017 के सरल क्रमांक 02 पर अंकित श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी सहायक ग्रेड-2 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,उमरिया का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-शहडोल के अधीन किया गया।

उक्त स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 10084/2017 दायर की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2017 को निर्णय पारित कर संबंधित को संचालनालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं संचालनालय को संबंधित का अभ्यावेदन स्वीकार कर नियमानुसार निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

न्यायालय निर्णय के परिपालन में संबंधित द्वारा निम्नानुसार तथ्य उल्लेखित करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उमरिया से शहडोल किया गया स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है -


- माताजी वृद्ध है एवं स्वास्थ्य खराब रहता है इसलिए जिला चिकित्सालय उमरिया में ईलाज प्रचलित है।
- पुत्र केन्द्रीय विद्यालय उमरिया में अध्ययनरत है, स्थानांतरण से पुत्र की पढ़ाई प्रभावित होगी।
- स्वयं म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ जिला उमरिया की बांधवगढ़ तहसील अध्यक्ष पद के पदाधिकारी है इसलिए स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 की कण्डिका 8.19 अनुसार छूट चाही है।

श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी का स्थानांतरण उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,उमरिया के प्रतिवेदन जिसमें श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति को संदिग्ध एवं श्री त्रिपाठी की कार्यप्रणाली शासकीय पदानुरूप नहीं होने से अन्यत्र स्थानांतरण की अनुशंसा के आधार पर श्री त्रिपाठी का स्थानांतरण उमरिया से शहडोल किया गया है, स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति में उल्लेखित प्रावधानों अनुरूप ही है स्थानांतरण नीति की कण्डिका 8.22 के तहत एक ही स्थान पर 03 वर्ष से अधिक समय से लेखा,स्थापना का कार्य देखते रहने के कारण एवं शिकायत की पुष्टि होने के आधार पर ही श्री त्रिपाठी का स्थानांतरण उमरिया जिले से शहडोल किया गया है

श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी की पत्नी श्रीमती संध्या त्रिपाठी का स्थानांतरण भी प्रशासकीय आधार पर जिला उमरिया से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,शहडोल के अधीन किया गया है।

श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं, स्थानांतरण नीति एवं पति-पत्नि को एक स्थान पर पदस्थ रखने के दृष्टिगत प्रकरण में माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरांत उपरोक्त के अनुक्रम में श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सहायक ग्रेड-2 का अभ्यावेदन विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पू. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2017/75-H

भोपाल, दिनांक 25/01/2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्यें रीवा संभाग मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश में उल्लेखित न्यायालय प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-उमरिया की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी को स्थानांतरण स्थल हेतु कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करें/शहडोल मध्यप्रदेश।
6. जिला कोषालय अधिकारी, उमरिया/शहडोल मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ति।

  
25/1  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्यें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्यें

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/70-H

भोपाल, दिनांक 24.01.2018

:: आदेश ::


संचालनालय के आदेश क्रमांक 02/अवि./सेल-टी.पी./अति./2017/540-B भोपाल, दिनांक 10.07.2017 के सरल क्रमांक 06 पर अंकित श्री स्वतंत्र नारायण त्रिपाठी फार्मासिस्ट ग्रेड-2 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छतरपुर का प्रशासकीय स्थानांतरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना के अधीन किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री स्वतंत्र नारायण त्रिपाठी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 17087/2017 दर्ज की गई जिस पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 में न्यायालय द्वारा संबंधित को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं **Respondent No.2** अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को नियमानुसार संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया।

मान.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 के पालन में श्री त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं को मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ जिला छतरपुर में सचिव पद के पदाधिकारी होने से स्थानांतरण नीति की कण्डिका 8.19 अनुसार स्थानांतरण से छूट प्रदान होने, स्वयं को हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, मधुमेह होने तथा पत्नी भी गंभीर स्लिप डिस्क से पीड़ित होने आदि का लेख करते हुए स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

श्री स्वतंत्र नारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं, स्थानांतरण नीति एवं प्रकरण में माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरांत श्री त्रिपाठी का अभ्यावेदन स्वीकार करते हुए श्री त्रिपाठी का सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छतरपुर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना के अधीन किया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री त्रिपाठी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लवकुश नगर, जिला-छतरपुर में पदस्थ किया जाता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
231

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/ 71 - H

भोपाल, दिनांक 24.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश में उल्लेखित न्यायालय प्रकरण के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- छतरपुर/पन्ना मध्यप्रदेश।
6. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छतरपुर, मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी, छतरपुर/पन्ना मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

  
2311

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश




संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/72-H

भोपाल, दिनांक 24.01.2018

∴ आदेश ∴

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री सुरेन्द्र सिंह, फार्मासिस्ट ग्रेड-1 कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला-रीवा को स्थानांतरित करते हुए कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा के अधीन तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है ।

  
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/73-H

भोपाल, दिनांक 24.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-रीवा मध्यप्रदेश।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, रीवा म.प्र. ।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-रीवा मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
8. आदेश नस्ती ।



अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश


क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/59-H

भोपाल, दिनांक 19.01.2018

आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री एस.एस.चौरसिया, नेत्र सहायक जिला चिकित्सालय दतिया को स्थानांतरित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला गुना के अधीन तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है ।

“आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित”



(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/60-H

भोपाल, दिनांक 19.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दतिया/गुना, मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, दतिया म.प्र.।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-दतिया/गुना, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती ।



1611  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/61-4

भोपाल, दिनांक 19.01.2018

:: आदेश ::

संचालनालय के आदेश क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2017/1143-F भोपाल दिनांक 22.11.2017 के द्वारा श्री एस.के.प्राण, नेत्रसहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसई जिला-दतिया का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला गुना के अधीन किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/62-4

भोपाल, दिनांक 19.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दतिया/गुना, मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-दतिया/गुना, मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
8. आदेश नस्ती।



16/1

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/45-H

भोपाल, दिनांक 16.01.2018

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री प्रमोद कासने नेत्रसहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नूराबाद, जिला-मुरैना को प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-राजगढ़ के अधीन तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

 16.1.18

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/46-H

भोपाल, दिनांक 16.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर/भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

 16.1.18

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/47-H

भोपाल, दिनांक 16.01.2018

:: आदेश ::


संचालनालय के आदेश क्रमांक 02/अवि./सेल-टी.पी./अति./2017/534-B भोपाल, दिनांक 10.07.2017 के सरल क्रमांक 14 पर अंकित श्री राजेश शर्मा, नेत्र सहायक जिला चिकित्सालय मुरैना का प्रशासकीय स्थानांतरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़ के अधीन किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री राजेश शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 5111/2017 दर्ज की गई जिस पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2017 में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को संबंधित के अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश दिये गये हैं।

मान.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2017 के पालन में श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनके द्वारा स्वयं म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ में चंबल संभाग के संभागीय कोषाध्यक्ष पद के पदाधिकारी नियुक्त होने के आधार पर स्थानांतरण नीति अनुसार कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को छूट का प्रावधान होने का लेख करते हुए स्वयं का राजगढ़ किया गया स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

श्री राजेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं, स्थानांतरण नीति एवं प्रकरण में माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरान्त श्री राजेश शर्मा, नेत्र सहायक का जिला चिकित्सालय मुरैना से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़ के अधीन किया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री राजेश शर्मा, नेत्रहायक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नूराबाद जिला-मुरैना में पदस्थ किया जाता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
11.1.18  
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/48-H

भोपाल, दिनांक 16.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर/भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश में उल्लेखित न्यायालय प्रकरण के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
6. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी, मुरैना/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/28-H

भोपाल, दिनांक 10.01.2018

:: आदेश ::

संचालनालय के आदेश क्रमांक 02/अवि./सेल-टी.पी./स्था./2017/534-बी भोपाल, दिनांक 10.07.2017 के सरल क्रमांक 19 पर अंकित श्री अक्षय शर्मा, मुख्य लिपिक क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर का कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शिवपुरी किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री अक्षय शर्मा को प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र सिटी सेंटर ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है। शेष प्रविष्टिया एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2018/29-H

भोपाल, दिनांक 10.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र सिटी सेंटर ग्वालियर म.प्र.।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-शिवपुरी मध्यप्रदेश।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शिवपुरी मध्यप्रदेश।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-शिवपुरी/ग्वालियर मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

 9/1/18

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश